



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110016


क्रमांक: एफ-21(5) ला.ब.शा.रा.सं.वि.वि./हिं.रा.भा./2020-21/138

स्मरण पत्र-2
दिनांक: 10.05.2022
12

अधिसूचना


अधिसूचना दिनांक 19.11.2020 एवं दिनांक 10.02.2021(स्मरण पत्र-1) के अनुसार समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पीठाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत की जाने वाले दिन-प्रति-दिन के आदेश/सूचना/अधिसूचना/पत्र/परिपत्र इत्यादि सभी हिंदी अथवा द्विभाषी में निर्गत किए जाने हैं, परंतु डिस्पैच अनुभाग के माध्यम से पता चला है कि कुछ विभागों/अनुभागों में अभी भी पत्राचार अंग्रेजी में किया जा रहा है, जिससे कि राजभाषा अधिनियम 1976 एवं राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का परिपूर्ण रूप से अनुपालन नहीं हो रहा है।


अतः विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/अनुभागों को पुनः सूचित किया जाता है कि वह अपने-अपने विभाग/अनुभाग द्वारा निर्गत की जाने वाले आदेश/सूचना/अधिसूचना/पत्र/परिपत्र इत्यादि सभी हिंदी अथवा द्विभाषी में जारी करें। द्विभाषी में जारी किये जाने वाले आदेश/सूचना/अधिसूचना/पत्र/परिपत्र इत्यादि को हिंदी-अंग्रेजी में आगे-पीछे (back to back) जारी करने का निर्देश दिया जा रहा है।


कुलसचिव (प्रभारी)


प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1 समस्त विभाग/अनुभाग (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक)।
- 2 संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करें तथा समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी-वर्ग को व्हाट्सएप्प के माध्यम से सूचित करें।
- 3 कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव।
- 4 संबंधित पंजिका।


कुलसचिव (प्रभारी)


12/5/2022

Per website
upload

St. Sachin

12/5/22